



2026:AHC:126143

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या - 15551 वर्ष 2026

धर्मी देवी याचिकाकर्ता (ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : अली हसन, अरविंद कुमार साहू, इस्तियाक अली

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : जी. ए.

कोर्ट नंबर - 7

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी,

1. आवेदक के लिए विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रतिवादी के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. भारतीय नार्वारक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से इस प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है कि उसे मुकदमे के विचारण (ट्रायल) के लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किया जाए। यह मामला अपराध संख्या 102 वर्ष 2026, धारा 8/18/29 एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत, थाना भमौरा, जनपद बरेली में पंजीकृत है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के कब्जे से 6 किलोग्राम अफीम की बरामदगी दर्शाई गई है, जबकि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52-ए के अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है, क्योंकि नमूने (सैंपल) भारत सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित नियमों के नियम 8, 9,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10 एवं 11 के अनुसार एकत्र नहीं किए गए हैं और न ही उन्हें किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित किया गया है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय **नदीम अहमद बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 2025 लॉसूट (एससी) 1134 (2025 आईएनएससी 993)** पर

जमानत संख्या 15551/2026

2

भरोसा व्यक्त किया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि सह-अभियुक्त प्रेम गिरी को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 15619 वर्ष 2026 में पारित आदेश दिनांक 08.05.2026 के माध्यम से पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक का मामला सह-अभियुक्त के समान है और समानता (पैरिटी) के आधार पर वह भी जमानत पाने का अधिकारी है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि आवेदक 20.02.2016 से जेल में बंद है और वह भरोसा दिलाती है कि अगर उसे रिहाई मिलती है, तो वह इस आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगी। यह भी बताया गया है कि कोर्ट में बहुत सारे मामले लंबित होने के कारण, ट्रायल के जल्द खत्म होने की कोई संभावना नहीं है।

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा आवेदिका को जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया गया है तथा यह प्रस्तुत किया गया है कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों एन.डी.पी.एस. की धारा 105 बी.एन.एस.एस. का अनुपालन किया गया है और नमूने नियमों के अनुसार संकलित किए गए हैं।

5. प्राथमिकी के अनुसार, आवेदिका के कब्जे से 6 किलोग्राम अफीम बरामद होना बताया गया है, जो दो पॉलिथीन पैकेटों में पाई गई, जिनमें प्रत्येक का वजन 3 किलोग्राम था। तथापि, बरामदगी पंचनामा के अनुसार, उक्त पैकेटों से नमूने नहीं लिए गए हैं और उन्हें पुनः सील कर पी-1 एवं पी-2 के रूप में अंकित किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि भारत संघ द्वारा राजपत्र में प्रकाशित नियमों के नियम 8, 9, 10 एवं 11 के अनुसार नमूनों का संकलन नहीं किया गया है और न ही उन्हें किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित किया गया है।

6. तथ्यों की समग्रता, मामले की प्रकृति तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के प्रावधानों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा

नदीम अहमद बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 2025 लॉसूट (एससी) 1134 (2025 आईएनएससी)
अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



993) मामले में प्रतिपादित विधि को ध्यान में रखते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं यह पाता हूँ कि यह जमानत प्रदान किए जाने हेतु उपयुक्त मामला है। अतः वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

7. तदनुसार, आवेदिका **धर्मी देवी**, जो उपर्युक्त अपराध संख्या से संबंधित मामले में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर ₹50,000/- के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के

जमानत संख्या 15551/2026

3

दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदिका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगी, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो, तथा वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी।

(ii) आवेदिका अभियोजन पक्ष के गवाहों को किसी भी प्रकार से प्रभावित, दबाव में या भयभीत नहीं करेगी।

(iii) आवेदिका विचारण न्यायालय के समक्ष निर्धारित तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगी, अर्थात् (i) वाद प्रारंभ किए जाने की कार्यवाही, (ii) आरोप विरचित किए जाने की कार्यवाही, तथा (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अंतर्गत बयान दर्ज किए जाने की कार्यवाही के समय।

(iv) आवेदिका इस आशय का एक शपथ-पत्र दाखिल करेगी कि जब भी गवाह न्यायालय में उपस्थित हों और साक्ष्य के लिए तारीख नियत हो, उस दिन वह किसी भी प्रकार का स्थगन मांगने का अनुरोध नहीं करेगी।

(v) आवेदिका प्रत्येक नियत तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगी।

8. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत

आवेदन के निस्तारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे मामले के गुण-दोष पर किसी भी अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रकार की अभिव्यक्ति नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय साक्ष्य के आधार पर स्वतंत्र रूप से निष्कर्ष निकालने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा और इस आदेश में कही गई किसी भी बात से प्रभावित नहीं होगा।

(न्यायमूर्ति, जय प्रकाश तिवारी)

5 जून, 2026

नीतू

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।